न्यायालय : संगीता रानी, अवर न्यायाधीश–प्रथम, बेनीपुर ।

हकीयत वाद सं0 71/2022
Reg. No. 81/22

मो0 सहादत.....................................वादी ।

बनाम
मो0 अब्बास वगैरह एवं अन्य..प्रतिवादी।

03.02.2026 **उभयपक्ष अनुपस्थित है।**

वादी ने यह वाद प्रतिवादी के विरुद्ध वाद पत्र के अनुसूची–1 और 2 में उल्लेखित भूमि पर वादी के पक्ष में डिक्री पारित करने एवं दिनांक–25.11.2022 का केवाला को अमान्य एवं अवैध घोषित करने हेतु यह वाद दायर किया है। वादी ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक–21.12.2022 को दायर किया। दिनांक–06.01.2023 को वाद का प्रतिग्रहण किया गया। प्रतिग्रहण के पश्चात् प्रतिवादी की उपस्थिति हेतु नजारत एवं डाक से सम्मन निर्गत किया गया। प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुए तब प्रतिवादी के विरूद्ध प्रकाशन की कार्रवाई की गई, फिर भी प्रतिवादी उपस्थ्ति नहीं हुए, तब दिनांक–21.03.2025 को प्रतिवादी के विरूद्ध तामिला सम्पुष्ट करते हुए एकपक्षीय आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात् यह वाद दिनांक–28.04.2025 से अबतक लगातार वादी के एकपक्षीय साक्ष्य हेतु लंबित चला आ रहा है। वादी न तो उपस्थित हुए न ही साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। वादी का एकपक्षीय साक्ष्य विगत 1 वर्षों से चला आ रहा है। जिससे स्पष्ट होता है कि वादी को अपने वाद में कोई अभिरूची नहीं है। अतः वादी का वाद साक्ष्य प्रस्ततु नहीं किये जाने के कारण **खारिज** किया जाता है।

कार्यालय अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

(लेखापित)

(संगीता रानी)
अवर न्यायाधीश प्रथम,
बेनीपुर।
03.02.2026